<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 91 / 2014

महानन्द आदि बनाम त्रिभुवन आदि

<u>16.08.2019-</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र 68ग2 व उसकी आपत्ति पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 68ग2 वादी पक्ष द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा दिनांक-12.09.2017 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश पर थानाध्यक्ष मऊ द्वारा कोई आख्या नहीं भेजी गई है अतः इस संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष से आख्या आहूत की जाये।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति कर अभिकथन किया गया है कि वादीगण द्वारा मात्र वाद को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिया गया है। पत्रावली लम्बे समय से साक्ष्य वादी पर नियत है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र किस प्रावधान के अन्तर्गत दिया गया है यह भी उल्लिखित नहीं है। वादी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थना की गई है कि वादी का प्रार्थना पत्र 68ग2 निरस्त किया जाये।

सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

वादी द्वारा दिनांक-12.09.2017 को दिये गये प्रार्थना पत्र व उस पर पारित पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.09.2017 के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के संबंध में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा स्थगन आदेश का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा निर्माण का शिकायत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से करने पर निर्माण को कुछ समय के लिये रोक दिया जाता है एवं कुछ समय बाद फिर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। इस प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश में न्यायालय द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आदेशित किया गया था तथा इस संबंध में आख्या भी माँगी गई थी। प्रतिवादी पक्ष के इस आपत्ति में बल प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थना पत्र 68ग2 पोषणीय नहीं है क्योंकि प्रार्थना पत्र 68ग2 न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांकित 12.09.2017 के मात्र अनुपालन हेतु है। प्रतिवादीगण यदि न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांकित 12.09.2017 से क्षुब्ध थे तो उसके विरूध्द उचित उपचार प्राप्त कर सकते थे जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः प्रार्थना पत्र 68ग2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 68ग2 स्वीकार किया जाता हैं। कार्यालय संबंधित थानाध्यक्ष को नोटिस इस आशय कि प्रेषित करें कि वह न्यायालय के आदेश दिनांकित-12.09.2017 के अनुपालन में आख्या प्रेषित करें तथा विलम्ब हेतु स्पष्टीकरण दे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक-09.09.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.),
मऊ, चित्रकूट।